रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 1995/कार्तिक 23, 1917

No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 1995/KARTIKA 23, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1995

सं. 158/95—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 744(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 98/95 तारीख 26 मई, 1995 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को, जब भारत में उनका पुनः आयात किया जाए, उससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है ।

सारणी

क्रम संख्यांक	माल का वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	भारत में विनिर्मित माल और ऐसे माल के भागों को चाहे वे भारतीय या विदेशी विनिर्माण के हों और भारत में उसकी मरम्मत या पुनरनुकूलन के लिए पुनः आयात किया जाता है ।	(1) ऐसे पुनः आयात-निर्यात की तारीख से तीन वर्ष के भीतर किया जाता है ; (2) माल का पुनः आयात किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर और जिसकी बढ़ाई गई अवधि छह मास से अधिक न हो जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें पुनः निर्यात किया जाता है ; (3) सहायक सीमा शुल्क आयुक्त का माल की पहचान के बारे में समाधान हो जाता है ; (4) आयातकर्ता आयात के समय निम्नलिखित बंधपत्र निष्पादित करता है—

1	2	3
		(क) यथा नियत अवधि के भीतर मरम्मत या पुनरनुकूलन के पश्चात माल का निर्यात करता है
		(ख) उसके द्वारा पूर्वोक्त शर्तों में से किसी का अनुपालन न करने की दशा में मांग किए जाने पर पुनः आयात के समय उद्ग्रहीत शुल्क और आयात के समय ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच के अंतर के बराबर किसी रकम का संदाय करेगा, यदि इसमें अन्तर्विष्ट जो ऐसी छूट न दी गई होती तो उद्ग्रहणीय होता ।
2. भारत में विनिर्मित माल और उनकी निम्नलिखित/ के लिए पुनः आयात—	(1) पुनः ऐसा आयात निर्यात की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाता है ।	
(क) पुनः प्रसंस्करण ; या (ख) परिष्करण; या (ग) पुनः बनाने; या (घ) ऊपर खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप किसी प्रक्रिया के अधीन रहेगा ।	(2) माल का पुनः आयात किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी और जिसकी बढ़ाई गई अवधि छह मास से अधिक न हो जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें पुनः निर्यात किया जाता है ;	
	(3) सहायक सीमा शुल्क आयुक्त को माल की पहचान के बारे में समाधान हो जाता है ;	
	4. निर्यातकर्ता निम्नलिखित आशय का बंधपत्र निष्पादित करता है—	
	(क) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नियंत्रणाधीन किसी कारखाना में ऐसे प्रसंस्करण, परिष्करण या पुनः बनाने या ऐसी प्रक्रिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 (ङङ) के अधीन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के उपबंधों के अधीन किसी सीमा शुल्क बंधपत्र में अधिकथित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए की जाएंगी ।	
	(ख) वह ऊपर मद (क) में विनिर्दिष्ट परिसर में प्राप्त किए गए उक्त पुनर्आयातित माल के उपयोग का सम्यक् लेखा रखेगा और वह, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा इस बात के लिए सम्यकतः प्रमाणित उक्त लेखा प्रस्तुत करेगा कि पुनर्आयात के लिए प्रस्तुत किया गया माल, उक्त पुनर्आयातित माल से यथास्थिति, पुनप्रसंस्कृत, परिष्कृत किया गया या पुनः बनाया गया या किसी प्रक्रिया के अधीन रहा है ।	
	(ग) यदि किसी दशा में ऐसे प्रचालन के दौरान कोई अपशिष्ट या स्क्रैप उद्भूत होता है और आयातकर्ता से, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष नष्ट करने के लिए सहमत होता है या ऐसे अपशिष्ट या स्क्रैप के लिए समुचित सीमा शुल्क का संदाय करता है मानों ऐसे अपशिष्ट या स्क्रैप आयातित किए गए हों ।	
	(घ) उसके द्वारा पूर्वोक्त शर्तों में से किसी का अनुपालन न करने की दशा में मांग किए जाने पर पुनः आयात के समय उद्ग्रहीत शुल्क और आयात के समय ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर किसी ऐसी रकम का संदाय करेगा जो यदि इसमें अन्तर्विष्ट ऐसी छूट न दी गई होती तो उद्ग्रहणीय होता परन्तु यह कि पुनः प्रसंस्करण, परिष्करण या पुनः बनाने या वैसी ही प्रक्रिया में या ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान आयात माल की कोई हानि; पता चलती है, तो ऐसी हानि की मात्रा को सहायक सीमा शुल्क आयुक्त इस समाधान के अधीन रहते हुए कि ऐसी हानि ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान हुई है, सम्पूर्ण सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि) से छूट दी जाएगी ।	

[फा. सं. 435/3/95—सीमाशुल्क IV]
विजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1995.

NO. 158/95—CUSTOMS

G.S.R. 744 (E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue notification No. 98/95, dated 26th May, 1995 the Central Government being satisfied that it is necessary in the Public interest so to do, hereby exempts goods falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and for the purpose specified in Column (2) of the Table hereto annexed, when reimported into India from the whole of the duty of Customs leviable there on which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions laid down in the corresponding entry in Column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Desciption of goods	Conditions
(1)	(2)	(3)
1.	Goods manufactured in India and parts of such goods whether of Indian or foreign manufacture and reimported into India for repairs or for reconditioning.	1. Such reimportation takes place within 3 year's from the date of exportation; 2. Goods are reexported within six months of the date of reimportation or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow; 3. The Assistant Commissioner of Customs is satisfied as regards indentity of the goods; 4. The importers at the time of importation executes a bond underraking to— (a) export the goods after repairs or reconditioning within the period as stipulated; (b) pay, on demand, in the event of his failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount, equal to the difference between the duty levied at the time of reimport and the duty leviable on such goods at the time of importantation but for the exemption contained herein.
2.	Goods manufactured in India and reimported for — (a) Processing; or (b) refining; or (c) re-making; or (d) subject to any process similar to the processes referred to in clauses (a) to (c) above.	1. Such reimportation takes place within one year from the date of exportation. 2. Goods are reexported within six months of the date of reimportation or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow; 3. The Assistant Commissioner of Customs is satisfied as regards identity of the goods. 4. The importer executes a bond to the effect— (a) that such reprocessing, refining or remaking or similar processes. shall be carried out in any factory under Central Excise control following the procedure laid down under rule 173 MM of the Central Excise Rules, 1944 or in a Customs bond under provisions of section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); (b) that he shall maintain a due account of the use of the said reimported goods received in the premises specified in item (a) above and shall produce the said accounts duly certified by the officer of Central Excise or Customs, as the case may be incharge of the factory or the bonded premises to the effect that the goods tendered for reimport are reprocessed, refined or remade or subjected to any perocess, as the case may be, from the said reimported goods; (c) that in case any waste or scrap arising during such operations and the importer agrees to destroy the same before the officer

1	2	3
		of the Central Excise of Customs, as the case may be, or to pay on such waste or scrap the appropriate duties of customs as if such waste or scrap is imported;
		(d) that he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the difference between the duty leviable on such goods at the time of importation but for the exemption contained herein :
		Provided that in case of reprocessing, refining or remaking or similar process, if any loss of imported goods is noticed during such operations, the quantity of such loss shall be exempted from the whole of the duties of customs (basic customs duty and additional customs duty, etc.) subject to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs that such loss has occured during such operations.

[F. No. 435/3/95—CUS.IV]
VIJAY KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995